हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवेंशन आफ डिसक्वालीफिकेशन) ऐक्ट, 1974 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 23 अप्रैल, 1975 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4क के खंड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :---

हरियाणा राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974

(1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 41)

[13 दिसबंर, 1974]

सरकार के अधीन कतिपय ऐसे लाभ-पद, जिनके धारक हरियाणा राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निर्रहित नहीं होंगे, घोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम---यह अधिनियम हरियाणा राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974 कहा जा सकता है।

2. परिभाषाएं---इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से अभिप्रेत है, किसी पद के धारक को उस पद के कृत्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ता, कोई सवारी भत्ता, मकान-किराया भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय कोई धनराशि ;

(ख) "अकानूनी निकाय" से अभिप्रेत है किसी कानूनी निकाय से भिन्न कोई व्यक्ति-निकाय ;

(ग) "कानूनी-निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड अथवा अन्य व्यक्ति-निकाय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं ।

3. कतिपय लाभ-पदों द्वारा निरर्हित न किया जाना---(1) इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद जहां तक वह भारत सरकार या हरियाणा राज्य सरकार के अधीन लाभ-पद है अपने धारक को हरियाणा राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या बने रहने के लिए निर्रहित नहीं करेगा, अर्थात्:---

(क) लंबरदार ;

(ख) सब-रजिस्ट्रार, चाहे विभागीय हो अथवा अवैतनिक विपत्र प्रमाणक (नोटरी), शपथ आयुक्त कोई शासकीय रिसीवर जो पूर्णकालिक वैतनिक सरकारी कर्मचारी न हो या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसे बीमाकर्ता के अधीन सेवा करता हो जिनके नियंत्रित कारबार का प्रबंध जीवन-बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का संसद् अधिनियम 9) के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है ;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 50), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 31) अथवा रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1952 (1952 का संसद् अधिनियम 62), अथवा हरियाणा गृह-रक्षा दल अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 31) के अधीन, यथास्थिति, बनाए गए, रखे गए अथवा गठित किसी बल का सदस्य ;

(घ) रिजर्व-अधिकारी सेना में अधिकारी ;

[1][(ङ) किसी कानूनी या अकानूनी निकाय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप-प्रधान, निदेशक या सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा नामजद या नियुक्त किया गया हो, चाहे जिसे अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान प्रतिकर भत्ते सहित कोई पारिश्रमिक मिलता हो या नहीं ;]

(च) संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव ;

[1] 1981 के हरियाणा अधिनियम सं0 4 की धारा 1 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(छ) राज्य सरकार के किसी विभाग में उस सरकार का अवैतनिक सलाहकार ;

(ज) पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (1922 का पंजाब अधिनियम 4) के अधीन गठित किसी सुधार न्यास का अध्यक्ष तथा पंजाब कृषि उपज-मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष ;

(झ) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड का अध्यक्ष तथा हरियाणा कृषि-उद्योग-निगम लिमिटेड का अध्यक्ष ; तथा

(ञ) हरियाणा राज्य योजना बोर्ड या हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड या हरियाणा हरिजन कल्याण निगम या हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष या प्रतिस्थानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य ;

[1][(ट) किसी न्यायालय, अधिकरण, अथवा अन्य प्राधिकरण के सामने राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी विशिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही का संचालन करने के लिए, अथवा जांच आयोग की सहायता के लिए या जांच आयोग अधिनियम, 1952, या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त जांच आयोग के सामने किन्हीं पक्षकारों की सहायता के लिए या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त कोई अधिवक्ता ;]

(2) इस अधिनियम द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद, जहां तक वह भारत सरकार, हरियाणा राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद है उसके धारक को हरियाणा राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेगा :---

(क) मंत्री ;

(ख) राज्यमंत्री ;

(ग) उपमंत्री ।

4. निरसन---पंजाब राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1952, जहां तक वह हरियाणा राज्य को लागू है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

[1] 1980 के हरियाणा अधिनियम सं0 24 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।